

बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग 1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बृहस्पतिवार, तिथि 17 मार्च, 1983 ।

विषय सूची ।

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 16, 17, 18	..	1—8
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 560, 593 ।		9—25
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	..	27—83
दैनिक निबंध	..	85—86

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड के किसानों ने प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, जिसकी के पास बाज नहीं अंकुरण के लिये शिकायत की थी, जिसकी जांच उन्होंने की और जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी को लिखें अपने पत्रांक 1260, दिनांक 17 दिसम्बर, 1982 द्वारा शिकायत को सही पाया ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गलत बीज की आपूर्ति करनेवाले पदाधिकारी पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री रमेश झा—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर संशयः स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा भालू बीज के अंकुरण में शिकायत मिलने पर जांच की गयी। जांचोपरान्त पाया गया कि 128 कुपों में से जिन 8 कुपों ने शिकायत की थी उनकी अंकुरण कम होने का मुख्य कारण बीज प्राप्ति के बाद रख-रखाव में समुचित सावधानी का अभाव तथा रोपने में विलम्ब था। प्रमाणित बीज की अंकुरण क्षमता 90 प्रतिशत था परन्तु बीज उठाने और बीज रोपने की तिथि में जितना विलम्ब हुआ उतना ही अधिक अंकुरण क्षति की कमी हुई।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

नालों की भरम्मती।

559. श्री मो० मुस्ताक—क्या मन्त्री, लघु सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत राजकीय नलकूप, घोड़ापारा फरिगोडा, खेता एवं परवाटोली में नालों के घस जाने एवं टूट जाने के कारण कुपों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नालों की भरम्मती शीघ्र करने का विचार रखती है ?

श्री रमेश झा—यह सही नहीं है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत घोड़ापारा, फरिगोडा, खेता एवं परवाटोली नलकूप के नाले क्षतिग्रस्त रहने के कारण सिंचाई कार्य बन्द है, बल्कि तथ्य यह है कि परवाटोली एवं खेता 2 नलकूप क्रमशः विद्युत् एवं यांत्रिक खेती के कारण बन्द है, शेष सभी नलकूपों से सिंचाई कार्य हो रहा है।

बन्द नलकूपों को ठीक कराने एवं क्षतिग्रस्त नालों की भरम्मती हेतु निम्न के पत्रांक-17, दिनांक 7 जनवरी, 1983 द्वारा निधि आवंटित की जा चुकी है, जिससे उक्त नलकूपों को शीघ्र ठीक करा दिया जायगा।